

कर-भिन्न राजस्व

ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ

इस भाग में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज प्राप्तियों के अलावा, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश और लाभों को शामिल किया गया है। इसमें केन्द्रीय सरकार को अन्तरित भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष लाभ को भी शामिल किया गया है।

मुख्य शीर्ष के अनुसार इसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

(क)	ब्याज प्राप्तियां	36950.00	31538.42	25500.37
(ख)	लाभांश और लाभ	18875.13	20798.92	23500.00
	जोड़	55825.13	52337.34	49000.37
	ब्याज प्राप्तियां			
	(i) निम्न को दिए गए ऋणों पर ब्याज			
	(क) राज्य	29438.59	24511.73	18149.03
	(ख) संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल युक्त)	543.54	800.07	873.23
	(ग) रेलवे द्वारा देय ब्याज	3650.00	3573.34	3935.26
	(घ) अन्य ब्याज प्राप्तियां	3317.87	2653.28	2542.85
	जोड़	36950.00	31538.42	25500.37

क. ब्याज प्राप्तियां

(क) राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज

केन्द्र सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन के प्रयासों में राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रारम्भ की गयी राज्य अदला-बदली योजना की वजह से राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आयी है। यह योजना राज्यों को लघु बचत अन्तरणों वाली चालू निम्न कूपन और अतिरिक्त मुक्त बाजार उधारों के साथ विगत में भारत सरकार से संविदा किए गए उच्च लागत ऋणों की पुनःअदायगी हेतु समर्थ बनाती है, इस योजना के अन्तर्गत 13 प्रतिशत और उससे अधिक कूपन वाले 59,977 करोड़ रुपए के ऋणों 31 मार्च, 2004 तक अदला-बदली की गयी। वर्ष 2004-05 में 43,665 करोड़ रुपए की और राशि की अदला-बदली का अनुमान है। इस प्रकार राज्यों 103,642 करोड़ रुपए के उच्च लागत ऋणों की अदला-बदली 31 मार्च, 2005 तक नए निम्न कूपन उधार द्वारा कर ली जाएगी।

ब.अ. 2005-06 में ब्याज प्राप्तियों में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकारने के कारण गिरावट आने का अनुमान है क्योंकि दिनांक 31.3.2004 तक संविदा किए गए सभी केन्द्रीय ऋणों तथा दिनांक 31.3.2005 तक बकाया ऋणों को 7.5 प्रतिशत की दर पर 20 वर्षों हेतु नए सिरों से उस शर्त पर पुनर्निर्धारित किए जाने की अपेक्षा है कि सम्बद्ध राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान का अधिनियम करेगी।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिए गए ऋणों पर ब्याज

संशोधित अनुमान 2004-2005 में 800.07 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2005-2006 में 873.23 करोड़ रुपए की ब्याज प्राप्तियां होने का अनुमान है।

(ग) रेलवे द्वारा देय ब्याज

वर्ष 2004-2005 के सम्बन्ध में लाभांश दर पर रेलवे अभिसमय समिति (आरसीसी) की सिफारिशों को अभी संसद द्वारा पारित किया जाना है और वर्ष 2005-06 के लाभांश दर के सम्बन्ध ज्ञापन आरसीसी के विचाराधीन है, इस प्रकार वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के अनुमान वर्ष 2003-04 में अपनायी गयी व्यवस्थाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं। ये व्यवस्थाएं निम्नानुसार हैं -

(i) रिहायशी इमारतों की पूंजीगत लागत को छोड़कर, जिन पर 3.5 प्रतिशत की दर से लाभांश दिया जाता है, रेलवे की तरफ से लाभांश वाली समस्त पूंजी पर 7 प्रतिशत लाभांश की अदायगी की जाती है चाहे निवेश किसी भी वर्ष में किया गया हो (राज्यों को यात्री किराया कर के बदले, भुगतान हेतु, दिनांक 31.3.64 तक निवेश की गई पूंजी पर आर्थिक सहायता घटाकर, लाभांशयुक्त पूंजी पर 1.5 प्रतिशत सहित)।

(ii) नीचे बताई गई पूंजी के संबंध में रेलवे द्वारा लाभांश की अदायगी नहीं की जाती:-

(1) सामरिक महत्व की लाइनें - ऐसी लाइनों के कार्यचालन में वार्षिक हानि सामान्य राजस्व से पूरी की जाती है और उनके कार्यचालन में अधिशेष राशि, यदि कोई हो तो, सामान्य लाभांश के स्तर तक सामान्य राजस्व को अन्तरित कर दी जाती है।

(2) अलाभकारी ब्रांच लाइनें- पूंजी पर लाभांश की अदायगी से ब्रांच लाइन विशेष को छूट इस लाइन की अलाभकारिता की वार्षिक समीक्षा के आधार पर दी जाती है जिसमें लाभप्रदता निर्धारण "सीमान्तिक लागत" के आधार पर किया जाता है।

- (3) नौकाओं, कल्याण कार्यों से संबंधित इमारतों, (अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य एकक, क्लब, संस्थान, स्कूल तथा कालेज, होस्टल तथा अन्य कल्याण केन्द्र) और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का असामरिक भाग।
- (4) अयस्क लाइनें (किरिबुरु-बिमलागढ़ तथा संबलपुर-टिटलागढ़ लाइनें, जिन पर अयस्क की ढुलाई के लिए भाड़े की रियायती दरें उपलब्ध कराई जाती हैं) बशर्ते कि वे लाभकारी नहीं हैं, लाभप्रदता, "सीमान्तिक लागत" के आधार पर सिद्धान्त को अपनाते हुए निर्धारित की जाती है।
- (5) "वित्तीय भिन्न आधार पर" पहली अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद शुरू की गई 28 "नई लाइनें" जिनमें 'सीमान्तिक लागत' के सिद्धान्त अपनाने वाली वे लाइनें शामिल नहीं हैं जिनसे वर्ष के दौरान लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया था; यह प्रबंध जम्मू-कठुआ तथा तिरुनेलवेली-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी लाइनों पर भी लागू होता है जिनको "राष्ट्रीय निवेश" के नाम से जाना जाता है।

उपर्युक्त 'नई लाइनों' को छोड़कर अन्य 'नई लाइनों' में निवेशित पूंजी पर लाभांश, निर्माण की अवधि के दौरान तथा उनके खुलने के बाद पहले पांच वर्षों के लिए आस्थगित किया जाता है। आस्थगित लाभांश छठे वर्ष से वसूल किया जा सकता है, बशर्ते कि नई लाइनों की निवल आय में चालू लाभांश की अदायगी के बाद कुछ अधिशेष रहे। इन लाइनों पर अनकदी आस्थगित लाभांश का खाता उनके खुलने की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के बाद आस्थगित लाभांश के लिए किसी देयता को समाप्त करते हुए जिसे उस अवधि में समाप्त नहीं किया गया, बन्द कर दिया जाता है।

- (iii) चालू पूंजीगत निर्माण कार्यों पर एक वर्ष में होने वाले पूंजी-परिव्यय के 50 प्रतिशत भाग को (जिस पर अन्यथा लाभांश देय होता हो) तीन वर्ष की अवधि के लिए लाभांश की अदायगी से छूट दी गई है।
- (iv) उपर्युक्त लाभांश छूटें (सामरिक महत्व की लाइनों से संबंधित कार्यों पर होने वाली हानि को छोड़कर) रेलवे को सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं।
- (v) ऐसे वर्षों में जब रेलवे का निवल राजस्व चालू लाभांश देनदारियों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता, चालू लाभांश की अदायगी की कमी को आस्थगित लाभांश देनदारी माना जाता है (जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता)। इस राशि की अदायगी रेलवे द्वारा आने वाले वर्षों में अधिशेष से की जानी है।

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर 2004-2005 के संशोधित अनुमान तथा 2005-2006 के बजट अनुमानों हेतु रेलवे द्वारा देय लाभांश के अनुमान निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रुपए)			
	बजट	संशोधित	बजट
	2004-2005	2004-2005	2005-2006
(i) लगी पूंजी पर लाभांश (सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता को घटाकर)	2180.22	2197.68	2384.04
(ii) सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता	1362.16	1333.00	1476.00
(iii) रेल यात्री किराए पर कर के एवज में रेलवे द्वारा अदायगी	23.12	23.12	23.12
जोड़	3565.50	3553.80	3883.16
घटाइए-सामरिक महत्व की लाइनों के कार्यचालन में हानियां	263.00	280.46	247.90
रेलवे द्वारा देय लाभांश जिसे ब्याज के रूप में लिया गया है	3302.50	3273.34	3635.26
अस्थगित लाभांश देयता की पुनः अदायगी	300.00	300.00	300.00
एमयूटीपी विदेशी ऋण के एवज में पुनः अदायगी			
दायित्व के कारण सामान्य राजस्व को भुगतान	47.50

वर्ष 1964-65 से पहले की पूंजी पर रेलवे द्वारा दिए जाने वाले 1.5 प्रतिशत के लाभांश में से 23.12 करोड़ रुपए की रकम रेलवे द्वारा प्रदत्त अंशदान जो निरस्त रेलवे यात्री किराया कर के एवज में राज्यों को अनुदान के रूप में दी जाती है तथा शेष राशि जो अब तक रेल सुरक्षा कार्यों सम्बन्धी निधि को अंशदान में दी जाती थी वर्ष 2001-2002 की अवधि से है तथा जिसे रेलवे द्वारा सीधे वित्त मंत्रालय तथा आरसीसी (1999) के अनुमोदन से नवसृजित "रेलवे सुरक्षा निधि" में जमा कर दिया जाएगा।

(घ) अन्य ब्याज प्राप्तियां :

"अन्य ब्याज प्राप्तियां" के अन्तर्गत लगाए गए अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गए ऋणों पर ब्याज और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के पूंजीगत परिव्यय के सम्बन्ध में हैं।

प्राप्तिओं में रेलवे विकास निधि को दिए गए ऋणों के लिए रेलवे से प्राप्त ब्याज भी शामिल हैं।

ख. लाभांश और लाभ:

ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)			
	बजट	संशोधित	बजट
	2004-2005	2004-2005	2005-2006
(i) सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	12978.57	13437.03	16091.74
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	5896.56	7361.89	7408.26
जोड़	18875.13	20798.92	23500.00

अन्य कर-भिन्न राजस्व

राजस्व का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
1. राजकोषीय सेवाएं	1185.02	1345.58	1347.43
2. अन्य सामान्य सेवाएं	10345.62	10753.09	11232.61
3. सामाजिक सेवाएं	362.80	352.38	337.40
4. आर्थिक सेवाएं	19756.23	22168.40	27325.33
5. सहायता अनुदान और अंशदान	3597.93	3064.20	3217.91
जोड़	35247.60	37683.65	43460.68
घटाइए-			
वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां	14490.96	14707.84	15248.44
अन्य प्राप्तिओं के रूप में*	1783.74	912.10	207.78
जोड़	16274.70	15619.94	15456.22
निवल-अन्य कर-भिन्न राजस्व	18972.90	22063.71	28004.46
* क्षेत्र/उप क्षेत्र-वार वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तिओं का ब्यौरा निम्नलिखित है-			
राजकोषीय सेवाएं	934.60	1129.63	1197.53
अन्य सामान्य सेवाएं	6945.75	6287.33	6023.17
आर्थिक सेवाएं	8394.35	8202.98	8235.52
जोड़	16274.70	15619.94	15456.22

राजकोषीय सेवाएं

अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राजकोषीय सेवाएं	1185.02	1345.58	1347.43
घटाइए-वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां	934.60	1129.63	1197.53
निवल	250.42	215.95	149.90

वाणिज्यिक विभाग:

वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तिओं के अनुमानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(क) करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल:			
करेंसी नोट प्रैस	328.30	360.65	370.00
बैंक नोट प्रैस	300.00	350.00	350.00
प्रतिभूति कागज कारखाना	103.30	108.98	151.53
जोड़	731.60	819.63	871.53
(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं :			
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय	165.00	272.00	288.00
प्रतिभूति मुद्रणालय	38.00	38.00	38.00
जोड़	203.00	310.00	326.00

निवल प्राप्तिओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल:			
(i) सिक्कों के चलन से लाभ	220.00	223.00	205.00
(ii) टकसाल	12.00	13.00	13.00
जोड़	232.00	236.00	218.00
(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं	18.42	-20.05	-68.10
जोड़ राजकोषीय सेवाएं	250.42	215.95	149.90

(क) करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल:- सिक्कों के परिचालन से लाभ, सिक्कों के अंकित मूल्य और उनके धातु मूल्य की लागत के बीच के अन्तर का द्योतक है।

'टकसाल' के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः परिशोधन और धातु परीक्षण प्रभारों से संबंधित हैं।

(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं :- ये प्राप्तियां मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ई. एफ. एफ. प्रभार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंशदान, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त पारिश्रमिक आदि तथा आर्थिक अपराधों के लिए वसूल किए गए जुर्माने आदि से संबंधित हैं।

उपरोक्त वाणिज्यिक विभागों से होने वाली प्राप्तिओं को व्यय में से घटाकर प्रस्तुत किया गया है तथा इन्हें व्यय बजट में दिखाया गया है।

अन्य सामान्य सेवाएं

अनुमान इस प्रकार है:-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
अन्य सामान्य सेवाएं	10345.62	10753.09	11232.61
घटाइए-वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां	5162.01	6000.00	5915.39
अन्य प्राप्तियां	1783.74	287.33	107.78
निवल	3399.87	4465.76	5209.44
निवल प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल है :-			
(i) प्रशासनिक सेवाएं			
लोक सेवा आयोग	12.30	8.40	18.00
पुलिस	1230.75	1413.26	1465.26
पूर्ति और निपटान	43.25	43.30	45.00
लेखन-सामग्री और मुद्रण	14.50	14.01	15.27
लोक निर्माण कार्य	79.68	115.35	115.37
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1374.31	1264.16	1577.24
(ii) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	1356.31	1213.69	1425.95
(iii) विविध सामान्य सेवाएं	1072.51	393.59	547.35
जोड़	5183.61	4465.76	5209.44
घटाइए-बीएसएनएल से प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां	1783.74
निवल	3399.87	4465.76	5209.44

वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां रक्षा सेवाएं कैंटीन स्टोर विभाग से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्यिक विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है।

'लोक सेवा आयोग' की प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं की फीस आदि को दर्शाती हैं।

'पुलिस' की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पार्टियों को भेजे गए केन्द्रीय पुलिस बलों से संबंधित हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।

'पूर्ति और निपटान' के अंतर्गत मुख्य रूप से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से की गई स्वरीद और भंडारों के निरीक्षण की फीस तथा बेचे गए फालतू और पुराने सामान की बिक्री से हुई प्राप्तियों को दिखाया गया है।

'लेखन सामग्री और मुद्रण' के अन्तर्गत प्राप्तियों का सम्बन्ध सरकारी मुद्रणालयों, लेखन सामग्री, सरकारी राजपत्रों और सरकारी प्रकाशनों आदि की बिक्री से है।

'लोक निर्माण कार्य' के अंतर्गत सरकारी रिहायशी इमारतों के किराए से भिन्न केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संबंधी सभी प्राप्तियों को शामिल किया गया है।

'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' के शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों का संबंध मुख्यतः लेखापरीक्षा फीस, पासपोर्ट तथा वीसा फीस आदि से है। यह वृद्धि मुख्यतः लेखा-परीक्षा फीस, पासपोर्ट और वीसा फीस से होने वाली अधिक प्राप्तियों के कारण है।

'विविध सामान्य सेवाएं' शीर्ष के अंतर्गत राजस्व स्वाते में बट्टे स्वाते डाली गई डाक प्रमाण पत्रों/बाजार ऋणों के संबंध में दावा न किए गए शेषों से संबंधित प्राप्तियां समजित की गई हैं।

सामाजिक सेवाएं

अनुमानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

सामाजिक सेवाएं	362.80	352.38	337.40
वाणिज्यिक विभागों के अलावा प्राप्तियों के अनुमानों में निम्नलिखित शामिल है :-			
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	32.03	47.16	46.57
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	87.46	94.13	95.50
परिवार कल्याण	19.70	28.20	42.70
आवास	65.12	86.34	86.46
सूचना और प्रचार	153.65	90.25	60.02
श्रम और रोजगार	3.69	5.15	5.20
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1.15	1.15	0.95
जोड़	362.80	352.38	337.40

'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः शिक्षण तथा अन्य शुल्कों तथा संग्रहालयों और प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से होने वाली आमदनी से संबंधित होती हैं।

'चिकित्सा' प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए अंशदान, अस्पतालों तथा औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्त प्रभार शामिल है। 'जन स्वास्थ्य' प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वैक्सीन आदि की बिक्री से होने वाली आमदनी शामिल है।

'परिवार कल्याण' की प्राप्तियां मुख्यतः सामग्री तथा आपूर्ति की बिक्री आय से संबंधित हैं।
 'आवास' प्राप्तियों में मुख्यतः सरकारी रिहायशी इमारतों की लाइसेंस फीस शामिल है।
 'सूचना और प्रचार' प्राप्तियों में विज्ञापन और दृश्य प्रचार से प्रभार, प्रकाशनों की बिक्री तथा चलचित्रों के किराये शामिल हैं।
 'श्रम तथा रोजगार' प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, फैक्टरी तथा स्वान अधिनियम आदि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले शुल्कों से संबंधित हैं।
 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' के अंतर्गत प्रदर्शित प्राप्तियां मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना की प्राप्तियों से संबंधित हैं।

आर्थिक सेवाएं

अनुमान इस प्रकार हैं:-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
आर्थिक सेवाएं	19756.23	22168.40	27325.33
घटाइए-वाणिज्यिक विभाग और अन्य प्राप्तियां	8394.35	8202.98	8235.52
निवल	11361.88	13965.42	19089.81

वाणिज्यिक विभाग

वाणिज्यिक विभागों से प्राप्ति के अनुमानों के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:-

<i>कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप :</i>			
दिल्ली दुग्ध योजना	190.26	186.70	220.00
<i>उद्योग और खनिज :</i>			
अफीम और एल्कलॉयड के कारखाने	285.00	260.00	260.00
ईंधन निर्माण सुविधाएं	601.05	536.87	584.12
क्षेत्र में अन्य प्राप्तियां	...	624.77	100.00
जोड़	886.05	1421.64	944.12
<i>ऊर्जा:</i>			
बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र	1079.00	1430.72	1260.85
राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र	178.90	68.53	13.73
ईंधन संबंधी माल-सूची	869.15	358.23	659.45
भारी जल पूल प्रबन्ध	556.99	202.16	341.67
जोड़	2684.04	2059.64	2275.70
<i>परिवहन :</i>			
दीपस्तम्भ और दीपपोत	80.00	80.00	82.00
<i>संचार :</i>			
डाक सेवाएं	4554.00	4455.00	4713.70
जोड़-वाणिज्यिक विभाग	8394.35	8202.98	8235.52

इन वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां व्यय को घटाकर दिखाई गई हैं और इन्हें व्यय बजट में दिखाया गया है।

निवल प्राप्तियों के अनुमानों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	99.11	103.12	105.35
(ii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9.50	12.50	10.20
(iii) ऊर्जा	3947.06	4248.90	5077.59
(iv) उद्योग और खनिज	119.47	-421.32	125.15
(v) परिवहन	126.47	136.86	135.40
(vi) संचार	6326.64	6154.14	7000.00
(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	104.96	117.34	111.90
(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	628.33	3613.88	6524.22
जोड़	11361.88	13965.42	19089.81

प्रत्येक उप-क्षेत्र के अन्तर्गत खाते के मुख्य शीर्षों के अनुसार इन प्राप्ति अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
(i) कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप:			
फसल कार्य	71.35	67.07	69.30
पशुपालन	6.41	7.31	7.30
डेशी विकास	0.15	...	0.14
मत्स्य पालन	1.74	1.44	1.48
वानिकी और वन्य जीवन	3.50	4.00	3.50
खाद्य-भंडारण और भांडागारण	5.71	12.50	12.50
अन्य कृषि कार्यक्रम	10.25	10.80	11.13
जोड़	99.11	103.12	105.35

इस उप-क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाएं, कृषि शिक्षा से प्राप्त शुल्क, गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी शुल्क, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण आदि शामिल हैं। विदेशों और संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री से प्राप्त राशियों को इसके अन्तर्गत दिखाया गया है।

(ii) सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण:

वृहत् और मध्यम सिंचाई	7.50	10.50	9.00
लघु सिंचाई	2.00	2.00	1.20
जोड़	9.50	12.50	10.20

"वृहत् और मध्यम सिंचाई" शीर्ष के अन्तर्गत अनुमान मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियों को दर्शाते हैं। "लघु सिंचाई" के अन्तर्गत अनुमान राज्य सरकारों आदि के लिए भूजल अन्वेषण के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूजल जल बोर्ड की प्राप्तियों से संबंधित हैं।

(iii) ऊर्जा

विद्युत	14.00	12.45	11.55
पेट्रोलियम	3932.91	4236.36	5065.93
कोयला और लिग्नाइट	0.01	0.02	0.02
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	0.14	0.07	0.09
जोड़	3947.06	4248.90	5077.59

'विद्युत' शीर्ष के अन्तर्गत विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम आदि के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां आती हैं।

'पेट्रोलियम' शीर्ष के अन्तर्गत अनुमानों में कच्चे तेल और अपतटीय उत्पादित गैस पर प्राप्त रायल्टी से प्राप्तियां, पेट्रोलियम लाभ तथा किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस के अन्वेषण के अनन्य अधिकार से संबद्ध लाइसेंस शुल्क शामिल हैं।

(i) **रायल्टी** : यथामूल्य आधार पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा देय होती है जो उस कीमत पर निर्भर होती है जिस पर उनके द्वारा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस बेचे जाते हैं। चूंकि, प्राकृतिक गैस का मूल्यनिर्धारण अभी भी नियंत्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली (एपीएम) के अंतर्गत है, अतः प्राकृतिक गैस पर रायल्टी के अनुमान प्रतिवर्ष अलग-अलग नहीं होते। फिर भी कच्चे तेल की कीमतें कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से सम्बद्ध हैं जो काफी परिवर्तनशील होती हैं, अतः विभिन्न वर्षों में रायल्टी के अनुमानों में अंतर होता है।

(ii) **पेट्रोलियम लाभ** : पेट्रोलियम लाभ का अर्थ है लागत पेट्रोलियम द्वारा संपूर्ण उत्पादित पेट्रोलियम लाभ द्वारा कम किया गया एक विशिष्ट अवधि में संविदा क्षेत्र से बचाया गया पेट्रोलियम, किसी वित्तीय वर्ष में पेट्रोलियम लाभ के सरकारी हिस्से की संविदा क्षेत्र के लिए गणना पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनियों/संविदाकारों द्वारा वास्तव में प्राप्त निवेश बहुल/प्राप्ति की पश्च-कर दर (पीटीआरआर) के आधार पर की जाती है। पेट्रोलियम लाभ सरकारी क्षेत्र कंपनियों के अधीन निर्धारित क्षेत्रों से उत्पादित खनिज तेलों की बिक्री की प्राप्तियों से अर्जित लाभ के संबंध में ही देय होता है और यह बिक्री आय से प्राप्त मूल्य से सम्बद्ध होता है। वर्ष 2005-06 से उन राज्यों के अधीन जहाँ से खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया है, एनईएलपी के अंतर्गत संविदात्मक प्रावधानों से प्राप्त "पेट्रोलियम लाभ" के कर्-भिन्न राजस्व की हिस्सेदारी केन्द्र और राज्यों के बीच बारहवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार 50:50 के आधार पर की जानी है।

(iii) **पेट्रोलियम खोज लाइसेंस (पीईएल) शुल्क** : पीईएल शुल्क लाइसेंस धारक द्वारा किया जाने वाला भुगतान है जो अपतटीय क्षेत्रों में तेल एवं गैस की संपूर्ण खोज करने के लिए लाइसेंस धारक को सरकार द्वारा अधिकार प्रदान करने के संदर्भ में किया जाता है और यह क्षेत्र और लाइसेंस की अवधि से सम्बद्ध है।

(iv) उद्योग और खनिज

ग्राम और लघु उद्योग	22.35	23.75	23.85
उद्योग	86.02	-458.17	81.19
अलौह स्ननन और धातुकर्म			
उद्योग	11.10	13.10	20.11
जोड़	119.47	-421.32	125.15

"ग्राम और लघु उद्योग" शीर्ष के अन्तर्गत औद्योगिक सम्पदा, लघु उद्योग, हथकरघा, स्वादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम कीटपालन, बिजली करघा और अन्य ग्रामोद्योगों से होने वाली प्राप्तियां दिखायी गई हैं।

'उद्योग' के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्क से संबंधित हैं।

"अलौह स्ननन और धातुकर्म उद्योग" शीर्ष के अन्तर्गत मुख्यतः भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों से होने वाली प्राप्तियां दिखायी गई हैं।

(करोड़ रुपए)

	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
(v) परिवहन			
पत्तन और दीपस्तम्भ	7.93	10.55	10.00
नौवहन	30.18	34.50	32.00
नागर विमानन	3.70	3.70	3.40
सड़क और पुल	85.00	88.11	90.00
जोड़	126.81	136.86	135.40

'नौवहन' शीर्ष के अन्तर्गत जहाजों का पंजीकरण शुल्क और नौका सेवाओं की प्राप्ति आती हैं।

"सड़क और पुल" शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित प्राप्ति शामिल है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के उपयोग से संबंधित शुल्क और सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकारों एवं अन्य निकायों से विभागीय प्रभारों की वसूली शामिल है।

(vi) संचार

"अन्य संचार सेवाएं"	6326.64	6154.14	7000.00
---------------------	---------	---------	---------

"अन्य संचार सेवाओं" के अंतर्गत प्राप्ति का संबंध मुख्य रूप से सहयोगी संचालकों (आपरेटरों) से लाइसेंस शुल्क तथा वायरलेस योजना और समन्वय संगठन की प्राप्ति से है।

दूर संचार विभाग उसके द्वारा लाइसेंसशुदा विभिन्न टेलीकॉम आपरेटरों से आवर्ती लाइसेंस शुल्क जमा करता है। यह नए आपरेटरों से एकबारगी प्रविष्टि शुल्क की संग्रहित करता है, मुख्य सेवा श्रेणियों में शामिल हैं- सेलुलर मोबाइल सर्विस, बेसिक सर्विस, यूनिफाइड एक्सेस सर्विस, वीसैट सर्विस, इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉग डिस्टेंस सर्विस, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एंड पब्लिक रेंडियो ट्रंक सर्विस।

कुछ सेवाओं को छोड़कर, लाइसेंस शुल्क का निर्धारण समय-समय पर निर्दिष्ट आपरेटर्स समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत भाग के रूप में किया जाता है और उसमें सार्वभौम पहुंच लेवी संघटक शामिल है। इसके फलस्वरूप एजीआर टैरिफ, उपभोक्ता आधार, प्रतिस्पर्धा आदि जैसे कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है। नए आपरेटरों की प्रविष्टि, विलयन तथा अधिग्रहण, लाइसेंस शुल्क दरों में परिवर्तन और आंशिक से समेकित (उदाहरण के लिए एकीकृत पहुंच सेवाएं) लाइसेंसों में परिवर्तित होने का भी लाइसेंस शुल्क संग्रहण पर प्रभाव पड़ता है।

दूर संचार विभाग लाइसेंस शुल्क विभिन्न टेलीकॉम लाइसेंसधारियों से उन्हें आवंटित स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार, लाइसेंस शुल्क तथा रायल्टी संग्रहित करता है जो एक राष्ट्रीय संसाधन है। दो प्रकार के प्रभार हैं (i) राजस्व भाग के आधार पर, तथा (ii) निर्धारित फार्मूला आधार पर, सेवा प्रदाताओं के सम्बन्ध में, यह लाइसेंसधारियों के समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के बतौर "राजस्व भाग" के सिद्धान्त पर लगाया जाता है जो सैलूलर, सीडीएमए, एकीकृत पहुंच लाइसेंस, वीसैट आदि जैसे नेटवर्क लाइसेंसधारियों को सौंपे प्रदत्त स्पेक्ट्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। पीएमआरटीएस जैसे अन्य लाइसेंसों के सम्बन्ध में, बिन्दू-दर-बिन्दू संयोजनों तथा गैर-नेटवर्क लाइसेंसों, स्पेक्ट्रम प्रभार जैसे अन्य लाइसेंसों को निर्धारित आधार पर लगाया जाता है।

(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	26.57	25.74	25.84
अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	78.39	91.60	86.06
जोड़	104.96	117.34	111.90

"परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अन्तर्गत प्राप्ति भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विभिन्न प्रभागों / यूनिटों द्वारा की गई बिक्रियों और सेवाओं से हुई प्राप्ति से संबंधित है।

"अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान" प्राप्ति मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय एटलस तथा थिमेटिक मानचित्रण संगठन आदि से संबंधित हैं।

(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं:

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	169.70	190.63	198.93
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	457.82	3422.44	6324.48
पर्यटन	0.80	0.80	0.80
नागरिक आपूर्ति	0.01	0.01	0.01
जोड़	628.33	3613.88	6524.22

"विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन" शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य प्राप्ति में से एक प्राप्ति व्यापार और अदायगी करारों के अंतर्गत बकायों के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित हैं।

"अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं" शीर्ष में मुख्यतः संयुक्त पूंजी कम्पनियों के विनियमन से होने वाली प्राप्ति और बीमा अधिनियम के अंतर्गत फीस की वसूली की प्राप्ति को दिखाया गया है। इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की प्राप्ति और गैर सरकारी निकायों के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा वसूल किए गए शुल्कों तथा जोखिम बीमा निधि की प्राप्ति को भी शामिल किया गया है। सं.अ. 2004-05 में यूटीआई के विनिर्दिष्ट उपक्रम से अधिशेष का अन्तरण और स्पेशल यूनिट स्कीम, 99 की यूनिटों की पुनर्खरीद शामिल है।

सहायता अनुदान और अंशदान

ये अनुदान विदेशी स्रोतों से नकदी और वस्तुओं के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान से संबंधित है। ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(i) विदेशी अनुदान सहायता	3437.94	2896.70	3045.29
(ii) सहायता सामग्री और उपस्कर	159.99	167.50	172.62
जोड़	3597.93	3064.20	3217.91

अतिरिक्त ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबन्ध 2 की विवरणी 2 में दिए गए हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व

अनुमान निम्न प्रकार है :-

संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) की प्राप्ति	617.68	698.95	729.17
--	--------	--------	--------

संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) की प्राप्ति मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, खासतौर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी तथा वन उत्पादों की बिक्री, चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त होने वाली राशियां तथा नौवहन, पर्यटन और विद्युत से होने वाली प्राप्ति से सम्बन्धित है।